राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–III)/2016/ दिनांक :

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषय : जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2016–17 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस निदेशालय की विज्ञप्ति कमांक : क्रमांकः क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–III)/2016/785 दिनांक : 22|7|16 की हार्ड कॉपी मय सॉफ्ट कॉपी के साथ संलग्न कर भेजकर अनुरोध है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर के सभी संस्करणों में अतिशिघ्र प्रकाशित करवाने का श्रम करे।
संलग्न – हार्ड कॉपी मय सॉफ्ट कॉपी।

(श्यामलाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–III)/2016/786
दिनांक : 22-7-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –:

1. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के संबंध में एक प्रेस नोट अति0 निदेशक (प्रशिक्षण) की और से जारी कराने की व्यवस्था करावें।
6. प्रभारी, समस्त राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र को संक्षिप्त एवं विस्तृत प्रवेश विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर लेख है कि इनको आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगवाने का श्रम करावें।
7. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रवेश हेतु प्रकाशित की जाने वाली संक्षिप्त एवं विस्तृत प्रवेश विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
8. सचिव/समन्वयक, राजस्थान प्राईवेट नर्सिंग स्कूल फैडरेशन, ई–277 लालकोठी योजना,जयपुर।
9. सचिव/समन्वयक, प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस सोसायटी ऑफ जयपुर, 17 संगम होटल, मोतीलाल अटल रोड, पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
10. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय।

(श्यामलाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/जी-88 (पार्ट-1)/2016/785 दिनांक : 22\7\16

-:: संक्षिप्त विज्ञप्ति ::-

(जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यकम सत्र 2016-17 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति)

राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स में सत्र 2016-17 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्राशेक्षण **पाठ्यकम में प्रवेश के लिए 27.07.2016 से 24.08.2016 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र** आमंत्रित किये जाते है। आवेदन हेतु पात्रता/योग्यता की प्रमुख शर्ते निम्नानुसार है :-

1.	शैक्षणिक योग्यता	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से व अजमेर बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डो की इसके समकक्ष सीनियर सैकेण्ड्री परीक्षा नई स्कीम (10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फीजिक्स, कैमेस्ट्री व बॉयलोजी विषय ग्रुप के अभ्यर्थियों को प्राथमिता देय होगी। यदि उपरोक्त योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग/श्रेणी में उपलब्ध नही होंगे, तो शेष रिक्त रही सीटों हेतु ही, अन्य विषय वर्ग(गणित एवं कृषि विज्ञान सहित) उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जा सकेगा। सामान्य व अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों लिए 40 प्रतिशत (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियां के लिये 35 प्रतिशत) न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है (अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रति, यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो दोनो परीक्षाओं (मुख्य व पूरक) की, अंक तालिकाऐ ऑनलाईन आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड करें)।
2.	आयु (31.12.2016 को)	दिनांक 31.12.2016 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष (पुरूषों हेतु) तथा न्यूनतम 17 वर्ष एवं 34 वर्ष (महिलाओं हेतु), विभागीय कोटे के अभ्यर्थियों मे नियमित कार्यरत प्रसाविकाओं (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।
3.	सीटों की संख्या	कुल सीटों की संख्या/ संस्थाओं की संख्या (परिवर्तनीय) है। राजकीय/ निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउन्सलिंग से पूर्व विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करा दी जावेगी।
4.	आरक्षण	प्रशिक्षण में आरक्षित वर्गो को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
5.	महिला/पुरूष अभ्यर्थियों की सीटो की संख्या का अनुपात	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सभी राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों में महिला व पुरूष अभ्यर्थियों के प्रवेश/चयन का अनुपात 80:20 होगा। किसी भी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी एवं पुरूष अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर उसी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों से सीटे भरी जावेगी।
6.	पाठ्यकम की अवधि	3 वर्ष, जिसमें 6 माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है।
7.	शिक्षण शुल्क	राजकीय प्रशिक्षण स्कूल 180/- रूपये वार्षिक। निजी प्रशिक्षण स्कूल 50,000/- रूपये वार्षिक।
8.	चयन प्रकिया	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् तैयार की गई राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाईन काउंसलिंग के पश्चात् योग्य पाये गये अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्पानुसार इच्छित प्रशिक्षण केन्द्र में रिक्त सीटों पर वरियतानुसार प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन किया जावेगा।
9.	आवेदन शुल्क	सामान्य व अन्य पिछडा वर्ग (विशेष पिछडा वर्ग सहित) के अभ्यर्थी को 200/- रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी को 100/- रूपये की फीस ई मित्र/सीएससी नेटवर्क से जमा कराना अनिवार्य है। उक्त शुल्क पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से भी जमा कराया जा सकता है।

615

10.	आवेदन पत्र	आवेदन पत्र ई मित्र/सीएससी नेटवर्क पर एवं विभागीय वैबसाईट के माध्यम से भरे जा सकते है।
11.	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र विभागीय वैबसाईट **www.rajswasthya.nic.in** पर उपलब्ध है।

(श्यामलाल गुर्जर)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर